UPCOP App

1. **ई-प्राथमिकी पंजीकरण** -

    I. वाहन चोरी
    II. वाहन लूट
    III. चेन/पर्स/बैग/मोबाइल स्नैचिंग
    IV. सामान्य चोरी
    V. नकबजनी
    VI. नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी
    VII. लूट
    VIII. डकैती
    IX. साइबर अपराध

    इन अपराधों के घटित होने पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति **अज्ञात अभियुक्तों** के विरूद्ध बिना थाना गये कहीं से भी मुकदमा पंजीकृत करा सकता है।

2. **प्राथमिकी देखें -**

    प्राथमिकी देखें टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपनी दर्ज की हुई प्राथमिकी को देख सकता है तथा प्राथमिकी ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

3. **खोयी वस्तु का पंजीकरण (Report Lost Article)** -

    खोयी वस्तु का पंजीकरण (Report Lost Article) के माध्यम से कोई भी पीड़ित व्यक्ति बिना थाना गये कहीं से भी किसी वस्तु के खोने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। साथ ही किसी खोई चीज के प्राप्त होने पर उसकी सूचना भी इस पर दे सकता है।

4. **अपना थाना जानें -**

    अपना थाना जानें टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक जिस स्थान पर है वहां के नजदीकी थाना की जानकारी कर सकता है साथ ही वहां तक पहुचने का रास्ता देख सकता है और संभव सहायता प्राप्त कर सकता है।

5. दुर्घटना चेतवानी क्षेत्र -

दुर्घटना चेतवानी क्षेत्र टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक यह जान सकता है की वह दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में है या नहीं एवं विगत वर्षों में हुई सड़क दुर्घटना का स्थान मानचित्र पर देख सकता है।

6. चुराए गए / बरामद वाहन -

चुराए गए / बरामद वाहन टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए अपने चोरी गए वाहन के विषय में जानकारी कर सकता है या किसी वाहन के बारे में जानकारी कर सकता है कि पूरे देश में वह चोरी का है या नहीं। ।

7. सूचनाएँ साझा करें -

सूचनाएँ साझा करें टैब के माध्यम से कोई भी आम नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु अथवा गतिविधियों की सूचना दे सकता है जिसमें सूचना देने वाले की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

8. खराब व्यवहार -

खराब व्यवहार टैब के माध्यम से कोई भी आम नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की सूचना /चित्र/आवाज संबंधित थाने को दे सकता है जिसमें सूचना देने वाले की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

9. वरिष्ठ नागरिक -

यहाँ वरिष्ठ नागरिक अपने साथ किये गए किसी घटना या अभद्र व्यवहार की जानकारी बिना थाना गए कहीं से भी ऑनलाइन दे सकते हैं।

10. दिव्यांग -

दिव्यांग टैब के माध्यम से कोई भी दिव्यांग जन Text/Audio/सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी बात अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस तक पंहुचा सकता है। साथ ही अपने निकटतम संबंधी/सहयोगी का फोन नम्बर भी दे सकता है जिससे पुलिस बात कर सकती है।

11. चरित्र प्रमाण पत्र -

चरित्र प्रमाण पत्र टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपने चरित्र प्रमाण पत्र का पुलिस सत्यापन करा सकता है और ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है। और अगर खनन आदि के लिए आवेदन करता है तो उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

12. किरायेदार सत्यापन -

किरायेदार सत्यापन टैब के माध्यम से कोई मकान मालिक बिना थाना गए कहीं से भी अपने किरायेदार का पुलिस सत्यापन करा सकता है जिसकी रिपोर्ट ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

13. घरेलू सहायता सत्यापन -

घरेलू सहायता सत्यापन टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपने नौकर का पुलिस सत्यापन करा सकता है जिसकी रिपोर्ट ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

14. कर्मचारी सत्यापन -

कर्मचारी सत्यापन टैब के माध्यम से कोई भी सरकारी अथवा निजी संगठन बिना थाना गए कहीं से भी अपने कर्मचारी का पुलिस सत्यापन करा सकता है जिसकी रिपोर्ट ऑन-लाइन डाउनलोड कर सकता है।

15. **पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट** -

पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट टैब के माध्यम से मृतक व्यक्ति के अत्यंत नजदीकी सम्बन्ध वाला व्यक्ति कहीं से भी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट का विवरण ऑनलाइन देख सकता है।

16. **जुलूस अनुरोध** -

जुलूस अनुरोध टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी जुलूस निकालने के लिये स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेने हेतु अनुरोध कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

17. विरोध / हड़ताल पंजीकरण अनुरोध -

विरोध / हड़ताल पंजीकरण अनुरोध टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी प्रकार का विरोध या हड़ताल करने हेतु अनुरोध कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

18. कार्यक्रम / प्रदर्शन निवेदन -

कार्यक्रम / प्रदर्शन निवेदन टैब के माध्यम से कोई भी आम नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण कार्यक्रम/प्रदर्शन करने का निवेदन कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

19. फिल्म शूटिंग -

फिल्म शूटिंग टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी फिल्म की शूटिंग करने की अनुमति लेने हेतु अनुरोध कर सकता है जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑन-लाइन चली जायेगी।

20. स्थिति खोजें / डाउनलोड करें -

स्थिति खोजें टैब के माध्यम से नागरिक बिना थाना गए कहीं से भी अपनी किसी भी प्रकार की दर्ज की गयी ऑनलाइन शिकायत/अनुरोध की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर सकता है एवं सम्बंधित रिपोर्ट डाउनलोड या प्रिंट कर सकता है।

21. इनामी अपराधी-

इनामी अपराधी टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के इनामी अपराधियों की सूची देख सकता है।

22. **गिरफ्तार अभियुक्त** -

गिरफ्तार अभियुक्त टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए विगत 24 घंटों में विभिन्न थानों पर गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण जनपदवार एवं थानावार प्राप्त कर सकता है।

23. लापता व्यक्ति -

लापता व्यक्ति टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक बिना थाना गए लापता व्यक्तियों के विषय में चुने गए जनपद में दर्ज विवरण ऑनलाइन देख सकता है। इसके अतिरिक्त इससे मिलते-जुलते विवरण वाले संभावित लापता व्यक्तियों के बारे में जान सकता है।

24. अज्ञात शव -

अज्ञात शव टैब के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी अज्ञात शव के विषय में चुने गए जनपद में दर्ज विवरण ऑनलाइन देख सकता है। इसके अतिरिक्त इससे मिलते-जुलते विवरण वाले संभावित अज्ञात शव के बारे में जान सकता है।

25. साइबर जागरूकता -

साइबर जागरूकता टैब के माध्यम से नागरिक साइबर अपराधों से जुड़े नवीनतम मामलों की जानकारी एवं उसके रोकथाम हेतु आर0बी0आई0 द्वारा जारी किये गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन कर साइबर अपराधों से अपना बचाव कर सकता है।

26. आपातकालीन हेल्पलाइन -

आपातकालीन हेल्पलाइन टैब के माध्यम से नागरिक आपातकाल के समय पुलिस, एम्बुलेंस, फायर अथवा अन्य आपातकालीन नंबर से संपर्क कर सकता है।

27. फ़ोन मिलाएं -

इस टैब के माध्यम से नागरिक उत्तर प्रदेश पुलिस के थाने एवं सम्बंधित जनपदों के क्षेत्राधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के फ़ोन नंबर की जानकारी कर उसी नंबर को दबाकर संपर्क कर सकता है।